



उत्तराखण्ड राज्य
सहकारिता विभाग,
उत्तराखण्ड

निबंधक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड, देहरादून

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

धारा (4)(ख) के स्वः प्रकटीकरण के प्रावधान के अन्तर्गत तैयार मैनुअल

मैनुअल-15

{धारा 4(1)(ख)(XV)}

नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, जिसमें सार्वजनिक उपयोग के लिए रखी गई पुस्तकालय या वाचन कक्ष के कार्य करने के घंटे भी शामिल हैं।

31 मार्च 2026 तक अद्यावधिक

नागरिकों को सूचना प्राप्त करने हेतु उपलब्ध सुविधाएँ

क्र.सं.	सूचना प्राप्त करने की सुविधा	उपलब्ध सूचना/सेवा	स्थान/माध्यम	कार्य समय
1	लोक सूचना अधिकारी	RTI आवेदन एवं सूचना संबंधी कार्य	निबंधक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड	कार्यालय समय
2	विभागीय वेबसाइट	RTI Manual, अधिनियम, नियम एवं स्वप्रकटीकरण	आनलाइन	24×7
3	RTI आवेदन	सूचना हेतु आवेदन	कार्यालय/निर्धारित माध्यम	कार्यालय समय
4	अभिलेख निरीक्षण	उपलब्ध अभिलेखों का निरीक्षण	सम्बन्धित शाखा	पूर्व अनुमित/नियमानुसार
5	अभिलेखों की प्रतिलिपि	दस्तावेजों की प्रतिलिपि	सम्बन्धित कार्यालय	निर्धारित शुल्क/नियमानुसार
6	नोटिस बोर्ड	सार्वजनिक सूचनाएं	कार्यालय परिसर	कार्यालय समय

विभाग में उपलब्ध सेवायें

क्रम0 सं0	उपलब्ध सेवा	सेवा प्राप्त करने हेतु किससे सम्पर्क करें ?		सेवा शुल्क मूल्य	सेवा कितने समय में उपलब्ध हो पायेगी?	सेवा विषयक शिकायत कहाँ करें?	शिकायत कितने समय में दूर होगी?	विभाग के उद्देश्य
		पदनाम	स्थान					
1	निबन्धन	सम्बन्धित जिला सहायक निबन्धक	राज्य का प्रत्येक जनपद	सहकारी समिति अधिनियम के अनुसार निबन्धन शुल्क	90 दिन के अन्दर	उप निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तरांचल।	1-माह की अवधि में।	इस नागरिक अधिकार पत्र के माध्यम से हम प्रतिबद्ध हैं कि हम सहकारिता के निम्नलिखित अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्तों का अनुपालन करेंगे। 1- स्वैच्छिक एवं खुली सदस्यता। 2-लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण। 3-सदस्यों की आर्थिक भागीदारी। 4-स्वायत्ता एवं स्वाधीनता। 5-शिक्षा, प्रशिक्षण एवं जानकारी। 6-सहकारी संस्थाओं में आपसी सहयोग। 7-समुदाय से सम्बन्ध।
2	निर्वाचन	सम्बन्धित जिला सहायक निबन्धक	राज्य का प्रत्येक जनपद	सहकारी समिति अधिनियम के अनुसार निर्वाचन शुल्क	निबन्धक द्वारा नियमानुसार निर्वाचन तिथि की घोषणा किये जाने पर	उप निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तरांचल।	गम्भीर प्रकरण 15 दिन में एवं सामान्य प्रकरण 1 माह में।	
3	सहकारी समितियों के कार्यकलापों की जांच	सम्बन्धित जिला सहायक निबन्धक	राज्य का प्रत्येक जनपद	निःशुल्क	तत्काल	उप निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तरांचल।	गम्भीर प्रकरण 15 दिन में एवं सामान्य प्रकरण 1 माह में	
4	समितियों के विवादों का निपटारा	सम्बन्धित जिला सहायक निबन्धक	राज्य का प्रत्येक जनपद	उत्तरांचल सहकारी समिति अधिनियम के अनुसार	तत्काल	उप निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तरांचल	विवादों के निर्णय के उपरान्त 1 माह की अवधि में	

